



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)

Sugandha Bhavan
N.H. By-pass
P.B. No. 2277
Palarivattom P.O.
Cochin - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन. एच. बाईपास
पी. बी. नं 2277
पालारिवट्टम पी. ओ.
कोचिन - 682 025, भारत

सं. विपणन-सांख्यिकी/0011/2018-19

दिनांक : 13 जनवरी, 2020

परिपत्र


विषय : ब्यौहारियों द्वारा मासिक विवरणी की प्रस्तुति -बाबत

मसाला बोर्ड इलायची (अनुज्ञप्तीकरण एवं विपणन) विनियम 1987 और अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार जारी किए जानेवाले इलायची(छोटी व बड़ी) के विक्रेता लाइसेन्स प्रदान किए जाने की शर्तों व निबंधनों के अनुसार, इलायची(छोटी व बड़ी) के हर पंजीकृत विक्रेता को अगले महीने के 10वीं दिन को या उससे पहले मासिक आधार पर (फॉर्म एफ) में विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

साथ ही, यदि कोई खरीद नहीं है तो संबंधित अवधि के लिए संबद्ध एक 'शून्य' विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अब, सभी विक्रेताओं के ध्यान में यह लाया जाता है कि वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 (अप्रैल -दिसंबर) के लिए लंबित सभी मासिक विवरणी 31 जनवरी, 2020 को या उससे पहले अनिवार्यतः प्रस्तुत की जानी चाहिए। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि विक्रेता लाइसेन्स का नवीकरण, मासिक विवरणी जमा करने के अधीन होगा।

प्रस्तुतीकरण के लिए ई-मेल: tis.sb-ker@gov.in


निदेशक(विपणन)

सेवा में,/To

इलायची(छोटी व बड़ी) के सभी पंजीकृत विक्रेता

प्रतिलिपि : स्पाइसेस बोर्ड, बोडिनायकन्नूर, पुट्टुडी, गान्तोक, गुवाहटी को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए